राजस्व अपील संख्या 81/2022
अनवान
कालूराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट वगैरा

दिनांक 10 –03–2022

पत्रावली आज पेश हुई । अपीलान्ट अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र आज आवश्यक सुनवाई एवं मिसल तलब करने बाबत पेश करने पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई । प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किये गये।

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट जिल जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र क्रमांक/ प्र.ग.स./ राजस्व/2021/ कडवासरानगर /कदमीरास्ता /01 अनवान कालूराम वगैरा बनाम प्रेमाराम वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 20–01–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था । जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 4.3.2022 मे रेस्पो0 के नोटिस जारी कर रेकर्ड तलब करने के आदेश पारित किया गया है।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2022 मे उल्लेख किया कि इस प्रकरण मे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा ग्राम कडवासरा नगर के खंसरा नम्बर 935 मे रास्ते के अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 06–01–2022 पारित किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार लोहावट के रास्ते के प्रस्ताव को खारिज कर दिया अर्थात रास्ते का आदेश नही किया। वकील अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि प्रकरण सार्वजनिक हित है एवं 100 घरो की आबादी के रास्ते से जुडा हुआ है तथा प्रकरण को जल्दी निस्तारण करना आवश्यक है अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी लोहावट को प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलार्थी सहित अन्य प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उक्त रास्ते के सम्बध मे

गुणावगुण पर विचार करते हुए एवं राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 06.01.2022 के कम मे पुनः निर्णय पारित करे ।

हमने अपील अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एवं उनके द्वारा की गई बहस पर मनन किया एव पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्रादि का अवलोकन एव अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट एव प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 06–01–.2022 का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य नही है।

अतः अपीलान्ट की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2022 निरस्त किया जाता हैं तथा निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट एवं अन्य प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उन्हे सुनकर एवं तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत रास्ते के प्रस्ताव रास्ते के सम्बध मे विधिसमत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर